

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 28/1/25
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 20/1/25

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुहराई" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 900/1 व भूअनि 22/8/25 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 20/1/25 / मायब तहसीलदार 20/1/25 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 900/1 तहसील 20/1/25 व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्बन्ध 20/1/25 में खाता संख्या 833, 834 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	900/1	833, 834	चतुराज पि. के. शर्मा के नाम पर	चतुराज पि. के. शर्मा के नाम पर

(Signature)
 सहायक सचिव राजसमन्द
 उपखण्ड अधिकारी, पीएम
 जिला-राजसमन्द एवं
 पदेन सहायक कलक्टर 20/1/25

दिनांक :- 3/10/25

क्रमांक :- 125/340

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 20/1/25 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री चतुराज पि. के. शर्मा को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, पीएम
 जिला-राजसमन्द